

श्री नवीन कुमार, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा दिनांक 26.04.2021 को आइसोलेशन वार्ड एवं आपातकालीन वार्ड में प्रतिनियुक्त चिकित्सक/कर्मियों के साथ आहुत बैठक की कार्यवाही :-


1. सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि सदर अस्पताल, जहानाबाद में आइसोलेशन वार्ड संचालित है। जिसमें तीन शिफ्ट में चिकित्सक एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
2. आने वाले दिनों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की बढ़ने की संभावना को देखते हुए मानव बल का आकलन कर प्रतिनियुक्ति करने का निदेश जिला पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन एवं डी0पी0एम0 हेल्थ को दिया गया।
3. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, आइसोलेशन वार्ड द्वारा बताया गया कि मरीज के आने पर एम्बुलेंस में ही मरीज का वी0पी0, ऑक्सीजन लेवल आदि की जाँच कर ली जाती है। Admit होने लायक मरीज को प्रतिनियुक्त कार्यालय परिचारी के साथ वार्ड में ले जाया जाता है।
4. समीक्षा के दौरान पाया गया कि आइसोलेशन वार्ड में कपड़ा वाला कोई stretcher नहीं है, जिसके कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिविल सर्जन, जहानाबाद को निदेश दिया गया कि अगिलम्ब कपड़ा वाला एवं स्टील (पहियायुक्त) वाला stretcher क्रय कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ABG मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निदेश सिविल सर्जन को दिया गया।
5. आइसोलेशन वार्ड में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को पी0पी0ई0 किट में रहने का निदेश दिया गया। वर्तमान में स्टोर में 200 पी0पी0ई0 किट उपलब्ध है।
6. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, आइसोलेशन वार्ड द्वारा बताया गया कि पैथेल्डॉजी टेस्ट सुबह में किया जाता है। वार्ड में पर्याप्त मात्रा में सभी दवा उपलब्ध है। गंभीर मरीज को higher level की दवा दिया जाता है। ससमय दवा की अधियाचना औषधी नियंत्रक को भेजने का निदेश दिया गया।
7. Dead Body Management के संबंध में अधीक्षक एवं डी0पी0एम0 को बैठक कर निर्णय से अवगत कराने का निदेश दिया गया।
8. मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने का कार्य जी0एन0एम0 करेंगी तथा कार्यालय परिचारी आक्सीजन सिलेंडर लेकर वार्ड में जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में बाहरी व्यक्ति वार्ड में प्रवेश न करे इस हेतु पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति वार्ड के प्रवेश द्वार पर करने का कष्ट करेंगे।
9. समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रतिनियुक्त कार्यालय परिचारी उपस्थिति अंकित कर चले जाते हैं। इस पर जिला पदाधिकारी द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। सिविल सर्जन एवं अधीक्षक, सदर अस्पताल को निदेश दिया गया कि औचक निरीक्षण कर प्रत्येक दिन रात्रि में प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
10. आइसोलेशन वार्ड में प्रत्येक शिफ्ट में 02 डाक्टरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। दोनों डाक्टर उपस्थित रहे सिविल सर्जन इसे सुनिश्चित करायेंगे।
11. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, आइसोलेशन वार्ड द्वारा बताया गया कि सुरक्षा में तैनात कर्मियों ठीक से कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण मरीज के परिजन खाना लेकर सीधे मरीज के पास पहुँच जाते हैं। निदेश दिया गया कि प्रवेश द्वार के पास गेट से सटाकर कर्मियों को बैठने हेतु शामियाना लगायेंगे। यदि मरीज के कोई परिजन खाना लेकर आते हैं, तो उन्हें गेट के पास ही रोक कर खाना के साथ संबंधित मरीज के नाम का पर्ची लगा कर कार्यालय परिचारी के माध्यम से उस मरीज तक भेजवायेंगे। सुरक्षा कर्मियों को एक रजिस्टर उपलब्ध करायेंगे जिसमें आने वाले Visitor का नाम अंकित करेंगे।
12. प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा को निदेश दिया गया कि तीन शिफ्ट में दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे जो सम्पूर्ण व्यवस्था पर नजर रखेंगे।

h

13. डॉ० संजीव कुमार जो रेफरल अस्पताल घोषी में प्रतिनियुक्त है, उन्हें अविलम्ब आइसोलेशन वार्ड में प्रतिनियुक्त करने का निदेश सिविल सर्जन को दिया गया।


आपातकालीन वार्ड

14. बैठक में मात्र एक चिकित्सक उपस्थित है। अनुपस्थित चिकित्सक से स्पष्टीकरण पृच्छा करने का निदेश सिविल सर्जन को दिया गया।
15. इमरजेंसी में जो भी मरीज आते हैं, उनकी जाँच करायेंगे। जो मरीज +ve आते हैं, उन्हें DCHC में भेजेंगे।
16. प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इमरजेंसी में मात्र एक कार्यालय परिचारी प्रतिनियुक्त है, जो द्विव्यांग है। दूसरे कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया।
17. सिविल सर्जन को प्रत्येक दिन चिकित्सक एवं ए०एन०एम० से फीडबैक प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
18. जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.04.21 को रात्रि में एक ही चिकित्सक उपस्थित थे। यह स्थिति ठीक नहीं है। सभी चिकित्सक ससमय उपस्थित रहें, इसे सुनिश्चित कराने का निदेश सिविल सर्जन को दिया गया।
19. सदर अस्पताल, जहानाबाद में जम्बों ऑक्सीजन सिलेंडर द्वारा पाईप लाईन के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। प्रत्येक दिन कितना ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है तथा कितने की आवश्यकता है, इसका आंकलन कर सिविल सर्जन उपलब्ध करायेंगे।
20. समीक्षा के दौरान पाया गया कि इमरजेंसी वार्ड में स्टॉफ के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जो शौचालय है, वह जीर्णशीर्ण अवस्था में है। शौचालय की अविलम्ब मरम्मत कराकर चालु कराने का निदेश अधीक्षक, सदर अस्पताल एवं डी०पी०एम० को दिया गया।
21. प्रभारी चिकित्सक द्वारा बताया गया कि इमरजेंसी के ओ० टी० में एक स्टॉफ था, जिसकी प्रतिनियुक्ति आइसोलेशन वार्ड में कर दी गई है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब इमरजेंसी के ओ०टी० में एक स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
22. इमरजेंसी में प्रत्येक शिफ्ट में 04 GNM की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश सिविल सर्जन, जहानाबाद को दिया गया।
23. इमरजेंसी वार्ड में यदि सांस लेने में तकलीफ होने वाले मरीज ईलाज हेतु आते हैं और यदि उनका कोविड टेस्ट नहीं हुआ है अथवा नेगेटिव है, तो प्रातः 08.00 बजे तक Truenet अथवा Antigen Test कराकर DCHC में उपचार हेतु भेजेंगे।


जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक 759 / गो० जहानाबाद, दिनांक 26/04/2021

प्रतिलिपि— उप विकास आयुक्त/सिविल सर्जन/अधीक्षक, सदर अस्पताल/डी०पी०एम० हेल्थ एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।